



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5बी0रथा0व्य0/नि0प्र0-01(2018-19) - 3385

दिनांक: 18/09/2018

प्रेषक:

संजय कुमार, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार, राँची का पत्रांक 29/बी0टी0ई0-10/2017-18/77/बजट, दिनांक 21.02.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष के 51-मुआवजा इकाई में कुल 50.00 लाख रु0 (पचास लाख रु0) मात्र की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-10/2017-18 /77/बजट राँची, दिनांक 21.02.2018 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. इस राशि से संबंधित नियंत्री पदाधिकारी अपने अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए कोषागार/उप कोषागार को सूचित करेंगे तथा उसी अनुसार राशि की निकासी, संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
5. निकासी एवम् व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि निकासी के पूर्व जिस कार्य के लिए निकासी की जा रही है उसके लिए यथा योग्य सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो एवम् राशि का पूर्ण सदुपयोग कर लिया जायेगा।
6. संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन संरक्षक, क्षेत्रीय/मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा व्यय का सतत अनुश्रवण किया जायेगा। झारखंड सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-4/यो0 बजट-05/10-819 दिनांक 10.03.2011 को भी द्रष्टव्य रखा जायेगा।

01c

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BBODA/01-18-19/86B

दिनांक - 18-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601001010651 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 06 - अनुदान 51 - मुआवजा Establishment Expenditure	57127	BKRFOR012 KULWANT SINGH R.C.C.F. BOKARO REGION	5,000,000.00 रुपये पचास लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			



योग:

5,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये पचास लाख

Sanjay Kumar
18/9/18

(SANJAY KUMAR)

Principal Chief Conservator of Forest,
PCCF, JHARKHAND, RANCHI
Jharkhand, Ranchi

Sanjay Kumar
18/9/18